दौरे पर / दीगर कार्य / छुट्टी
वास्ते ... दिनांक 19/12 को पेश हो।
SDO सा० की आज्ञा से

19/12/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी अनुपस्थित, वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखे जाने का निवेदन कर सहमति दी। वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर पूर्व में जारी दिनांक 17/5/2022 की अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कायम रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

1.9 हेक्टेयर को फैसला कायम रखने में सहमतीय

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested